



2026:AHC:62321

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1137/2026

सौरभ गुप्ता @ सौरभ कुमार

... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

... प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता: कमलेश कुमार द्विवेदी, राज कुमार त्रिपाठी

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक की ओर से श्री राकेश पांडे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री कमलेश कुमार

द्विवेदी, अधिवक्ता द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, तथा राज्य की ओर से श्री अनूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



त्रिवेदी, विद्वान अपर महाधिवक्ता, जिन्हें श्री परितोष कुमार मालवीय एवं श्री चंदन अग्रवाल, विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वाद अपराध संख्या 354/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 21(गा), 27(का)/29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना-कोतवाली, जनपद-जौनपुर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को इस वाद में झूठा फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध प्रथमदृष्टया नहीं बनता है तथा अधिकतम यह कहा जा सकता है कि उसके द्वारा प्रदत्त लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, जो औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। यह भी कहा गया कि आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न औषधियों की क्रय-विक्रय हेतु विधिवत लाइसेंस प्रदान किया गया था। उसने झारखंड की एक फर्म से औषधियाँ क्रय कीं तथा उन्हें विधिसम्मत वाउचर, चालान एवं ई-वे बिल के आधार पर विक्रय किया, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं। यह भी कहा गया कि आवेदक जाँच/विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है।
4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी मात्रा बरामद हुई है तथा आवेदक द्वारा उक्त सिरप का वितरण अस्तित्वहीन फर्मों को किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया है। यह भी कहा गया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई आधार नहीं बनता। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस जाँच में पाया गया कि आवेदक की फर्म द्वारा विभिन्न फर्मों को आपूर्ति किए गए कोडीन युक्त कफ सिरप वास्तव में अस्तित्वहीन फर्मों को दर्शाए गए माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के अनुसार, न्यायालय ने 'बिरेन्द्र लाल वर्मा और चार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य' मामले में, इस न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात्, पूरे राज्य में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

5. प्रत्युत्तर में, आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्राथमिकी निरस्तीकरण एवं अग्रिम जमानत प्रदान करने के मानदंड भिन्न होते हैं तथा इस न्यायालय की पूर्व खंडपीठ द्वारा *विभोर राणा प्रकरण* में यह प्रतिपादित किया गया है कि कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री एवं आपूर्ति एन.डी.पी.एस. अधिनियम के दायरे में नहीं आती है। यह भी कहा गया कि एक खंडपीठ का निर्णय दूसरी पीठ द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता।

6. प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक की फर्म द्वारा झारखंड की एक फर्म से कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी मात्रा में क्रय की गई तथा उसे विभिन्न कथित रूप से अस्तित्वहीन फर्मों को आपूर्ति किया गया।

7. जाँच अभी प्रचलित है तथा इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **बिरेन्द्र लाल वर्मा एवं**

अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रकरण में राज्यभर में कोडीन युक्त कफ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सिरप की बरामदगी से संबंधित प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार किया गया है।

अतः इस अवस्था पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण एन.डी.पी.एस.

अधिनियम के दायरे से बाहर है।

8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, जाँच के दौरान संकलित सामग्री तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई आधार नहीं बनता है।

9. अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 20 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)